एफ 120 सी

करार के अनुसार विशेष अधेसिव स्टाम्प

स्वर्ण आभूषणों को गिरवी रखकर गैर-कृषि ओवरड्राफ्ट के लिए
आवेदन-सह-करार

खाता संख्या	
आभूषण ओवरड्रफ्ट खाता संख्या	

सेवा में,
शाखा प्रबंधक
इंडियन बैंक
.... शाखा

प्रिय महोदय,

मैं / हम, आवेदक(कों) का नामः 1. .... जन्मतिथि .... सीआईएफ सं. ....

2. .... जन्मतिथि .... सीआईएफ सं. ....
पिता / पति का नामः 1) .... 2. ....
व्यवसायः ....
पताः ....
आपसे अनुरोध करता हूँ / करते हैं कि निम्नलिखित स्वर्ण आभूषणों को बंधक रखकर इसके सापेक्ष मुझे/हमें रु.........................
(रुपये ....मात्र) का एक ओवरड्राफ्ट प्रदान करें।

प्रतिभूति स्वरूप प्रस्तुत की गई आभूषणों का विवरण

विवरण	**सकल वजन (ग्राम में)**	**निवल वजन (ग्राम में)**

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि ऊपर्युक्त आभूषण मेरे / हमारे निजी संपत्ति हैं और इस पर अन्य किसी का कोई दावा नहीं है।

मैं / हम पुष्टि करता हूँ / करते हैं कि आपके द्वारा प्रदत्त अन्य कोई ओवरड्राफ्ट / ऋण का बकाया नहीं है (यदि कोई है तो विवरण दें)

सुविधा का प्रकार	**योजना**	**सीमा**	**बकाया अवशेष**

मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए भी सहमत हैं:

1. बैंक द्वारा आभूषणों के प्रति सामान्य सावधानियां बरतते हुए, इसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा और उक्त क़ीमती आभूषणों को केवल उधारकर्ता के जोखिम पर बैंक की तिजोरियों में रखा जाएगा।
2. ऋण की अवधि के दौरान आभूषणों / वस्तुओं के प्रतिस्थापन / विनिमय / बदलने की अनुमति नहीं होगी। आभूषणों के मोचन की अनुमति केवल पूर्ण भुगतान / चुकौती के उपरांत दी जाएगी।
3. ऋणी, जब भी चार्ज किया जाएगा ब्याज (मासिक) चुकायेगा।

4. बैंक, ऋणी द्वारा भुगतान में चूक होने पर, ऋणी(यों) को उचित सूचना देने के उपरांत आभूषणों को सार्वजनिक नीलामी या निजी संविदा के माध्यम से, आभूषणों को ऋणी(यों) के जोखिम पर बेचने का हक़दार होगा। उक्त के उपरांत भी बैंक को घाटा हो रहा हो तो उक्त राशि की वसूली ऋणी(यों) से कर सकने का अधिकार होगा।

5. बैंक में ऋणी(यों) द्वारा गिरवी रखे गए आभूषणों पर, बैंक का पूर्ण ग्रहणाधिकार होगा तथा ऋणी(यों) द्वारा बैंक के किसी भी कार्यालय में अकेले या संयुक्त रूप से, किसी व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के साथ, बैंक के किसी भी कार्यालय में, कोई भी राशि या अन्य राशि देय है, तो बैंक को आभूषणों को बेचने का अधिकार होगा।

6. ऋणी(यों) द्वारा बैंक को दिए गए पते पर साधारण डाक से भेजा गया पत्र सभी उद्देश्यों के लिए उन्हें/उनके लिए पर्याप्त नोटिस होगा।

7. आभूषणों को गिरवी रखने के संबंध में बैंक के लागू नियम, जो समय-समय पर बनाए/संशोधित किए जा सकते हैं, वे ऋणी(यों) पर बाध्यकारी होंगे।

8. मैं/हम एतद्द्वारा बैंक को इस तिथि से पूर्ण भुगतान की तिथि तक, “मासिक/तिमाही/छमाही/वार्षिक, जिस भी अंतराल पर देय हो, इस प्रकार का ब्याज हर वित्तीय/कैलेंडर __________________ (यहां माह/तिमाही/छमाही/वर्ष जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करें) के अंतिम कार्य दिवस पर बकाया शेष राशि में जोड़ा जाएगा तथा उक्त ब्याज का यदि भुगतान नहीं किया गया है, तो वह अग्रिम राशि का हिस्सा बन जाएगा एवं उस पर समान दर से ब्याज लिया जाएगा”, _________ *प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से उक्त खाते को चार्ज और डेबिट करने के लिए अधिकृत करता/करती/करते हूँ/हैं।

   * आरबीआई की नीति के अनुसार रेपो दर (पिछली तिमाही के अंत में) ....% + प्राइम स्प्रेड #........%+ ऋण जोखिम प्रीमियम^ ....%+बिजनेस स्ट्रैटेजी प्रीमियम..........%

9. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नीति निर्देशों/बैंक नियमों के अनुसार ऊपर बताई गई दर से अधिक ब्याज दर लेने का हकदार है तथा मैं/हम, ऐसी बढ़ी हुई ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

10. मैं/हम न्यूनतम एक माह की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत हूं/हैं, भले ही एक माह से पहले ऋण का परिसमापन हो गया हो।

11. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि बैंक, स्वीकृत नियमों एवं शर्तों के अनुसार उधारकर्ता के जोखिम प्रोफ़ाइल में परिवर्तन होने पर ऋण जोखिम प्रीमियम को वार्षिक रूप से ऊपर या नीचे संशोधित करने का हकदार है ।

12. मैं/हम, आगे सहमत हूँ/हैं कि संबंधित देय तिथियों पर ब्याज/किश्तों के भुगतान में चूक या खाते में किसी भी अनियमितता या इसमें निहित किसी भी नियम और शर्तों का पालन न करने की स्थिति में; बैंक, डिफॉल्ट की गई राशि के संविदात्मक / अधिकतम ब्याज दरों पर ....% से अधिक या समय-समय पर लागू रु................ जो भारतीय रिजर्व बैंक / बैंक के नियमों के अनुसार अर्ध-वार्षिक आधार पर जारी दर पर ब्याज लेने का हकदार है।

13. जब भी बैंक की रेपो दर / स्प्रेड में परिवर्तन किया जाता है तो इसे, शाखा द्वारा / वेबसाइट या समाचार पत्र में प्रकाशित करके / उधारकर्ता (ओं) को भेजी गई पासबुक/खातों के विवरण में प्रभारित ब्याज की प्रविष्टि के माध्यम से, प्रदर्शित/अधिसूचित किया जाएगा तथा उधारकर्ता (ओं) को ब्याज दर में परिवर्तन की यह सूचना प्राप्त हो गया है, यह मान लिया जाएगा। उधारकर्ता (ओं) को ब्याज में परिवर्तन के संबंध में व्यक्तिगत सूचना देना आवश्यक नहीं है ।

14. मैं/हम सहमत हूं/हैं कि प्रथम संवितरण की तिथि पर ब्याज दर, चाहे आंशिक हो या पूर्ण, अगले नवीकरण/रीसेट तक लागू रहेगी।

15. मैं/हम आगे इस बात से सहमत हैं कि जब भी भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के अनुसार दरों में संशोधन किया जाता है, तो बैंक, बाद की तिमाही की पहली तारीख से या समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य तारीख से ब्याज दर में बदलाव करने का हकदार होगा।

16. ऋणी, सेवा शुल्क, सीईआरएसएआई शुल्क, प्री-क्लोजर शुल्क, आकस्मिक शुल्क, टाइपिंग और डाक व्यय, कानूनी नोटिस व्यय, सूचना उपयोगिताओं के लिए वित्तीय सुचानाओं के इलेक्ट्रॉनिक भंडारण आदि, से संबंधित व्यय जो बैंक

द्वारा खर्च किया जा सकता है, उसके शुल्क/प्रभार जैसे सभी खर्चों और शुल्कों को डेबिट करने के लिए, बैंक को अधिकृत करने पर सहमत हैं। खर्च उक्त खाते से डेबिट किया जा सकता है।

17. . उधारकर्ता, एतद् द्वारा समय-समय पर बैंक/ऋणदाता से प्राप्त वित्तीय सुविधाओं के संबंध में बैंक/ऋणदाता को दिवाला एवं दिवालापन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 3(13) में परिभाषित 'वित्तीय जानकारी' के साथ पठित संहिता के तहत तैयार, संशोधित और समय-समय पर लागू संबंधित विनियमों/नियमों जैसा कि ऋण के संबंध में संहिता के तहत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों के अनुसार समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया है और संहिता की धारा 3 (21) में परिभाषित किसी भी ' उपयोगिता सूचना ' (संक्षेप में 'आईयू') के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को समय-समय पर जारी किए गए निर्देश और संबंधित 'आईयू' द्वारा अनुरोध किए जाने पर बैंक/ऋणदाता द्वारा विशेष रूप से 'वित्तीय सूचना' को प्रमाणित करने के लिए सहमति देता है और खुलासा/प्रस्तुति करने के लिए विशिष्ट रूप से सहमत हैं।

18. ऋणी एतदद्वारा सहमत है तथा इस तरह के सभी या किसी भी प्रकटीकरण के लिए, बैंक को अपनी सहमति देता हैं:
    - उधारकर्ता (ओं) से संबंधित जानकारी और डेटा
    - बैंक द्वारा दी गई/दी जाने वाली तथा उधारकर्ता (ओं) द्वारा प्राप्त की जाने वाली, किसी भी क्रेडिट सुविधा में उधारकर्ता (ओं) के दायित्वों से संबंधित जानकारी या डेटा और
    - उधारकर्ता द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन के संबंध में दिए गए वचनों के अनुपालन में यदि कोई चूक होता है तो इंडियन बैंक, उचित और आवश्यक समझने पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी को इसकी जानकारी दे सकता है।

19. ऋणी आगे सहमत है और सहमति देता है कि
    - क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड तथा इस प्रकार की प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी, बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त जानकारी और डेटा का उपयोग, कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से कर सकती है, और
    - क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस प्रकार की प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी विचार के लिए उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित जानकारी और डेटा या उत्पादों को बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट अनुदानकर्ताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुत कर सकती है, जैसा कि आरबीआई द्वारा इस विषय में निर्दिष्ट किया गया हो।

20. ऋणी ओवरड्राफ्ट खाते के एवज में रखे गए प्रतिभूतियों के गिरवी रहने के निरंतरता में ....मार्जिन को बनाए रखने के लिए सहमत है और वचन देता है और ऋण के दौरान प्रतिभूति(यों) के मूल्य में आई कमियों को पूर्ण करने हेतु बैंक को नकद भुगतान करेगा और उक्त भुगतान में चूक होने पर, बैंक एक बार में या उसके बाद किसी भी समय में गिरवी रखी प्रतिभूतियों(बैंक के वाद दायर करने का अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना) को बेच देगा और विक्रय के आगम का उपयोग उपर्युक्त .... खाता एवं ब्याज और देय धन के समायोजन में करेगा और उक्त विक्रय के संदर्भ में खंड-21 भी लागू होगा।

21. यह कि बैंक गिरवी रखी संपत्ति के विक्रय से प्राप्त निवल आगम का उपयोग समायोजन के लिए करेगा, जहां तक कि उक्त आगम के द्वारा ऋणी के ऋण/कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट खाते या .... (यहाँ सुविधा के प्रकार का उल्लेख करें) बैंक को देय शेष राशि तक विस्तारित होगा या उसका उतना भाग जो ब्याज, पूर्वोक्त दरों पर ब्याज सहित और अटार्नी और ग्राहक के बीच की सभी लागतों सहित, वास्तव में किए गए शुल्क और व्यय करों सहित किसी भी खाते पर बैंक अदा न किया गया हो। यदि इस तरह की बिक्री से प्राप्त निवल राशि, बैंक को देय शेष राशि के चुकौती के लिए अपर्याप्त है, तो ऋणी प्रस्तुत करने पर, इसके खंड 24 (जो निर्णायक होगा) के अनुसार तैयार और हस्ताक्षरित किए जाने वाले खाते का ऋणी, बैंक को देय शेष राशि का भुगतान करने के लिए, तत्काल उत्तरदायी होगा। उधारकर्ता(ओं) के ऐसे दायित्व के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बैंक के हाथ में मौजूद किसी भी अन्य धन या धन को

उधारकर्ता(ओं) के क्रेडिट या उनके स्वामित्व में लागू करने के लिए बैंक हकदार होगा (लेकिन बाध्य नहीं होगा), या कोई भी धन जो उधारकर्ता तब या उसके बाद किसी भी समय बैंक से किसी भी ऋण, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट या किसी अन्य व्यवस्था या माल जो बैंक के परिसर या गोदाम में या उस समय के लिए बैंक को देय शेष राशि के भुगतान के लिए के तहत बैंक से निकालने का हकदार हो सकता है, और इस तरह के पैसे या धन के पूर्ण निर्वहन के लिए अपर्याप्त होने की स्थिति में, तो ऋणी प्रस्तुत करने पर, इसके खंड 24 (जो निर्णायक होगा) के अनुसार तैयार और हस्ताक्षरित किए जाने वाले खाते का ऋणी, बैंक को देय शेष राशि का भुगतान करने के लिए, तत्काल उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि इसमें निहित कुछ भी नकारात्मक या अन्यथा नहीं होगा बैंक के अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है एतदद्वारा स्पष्ट रूप से सहमत है कि बैंक को उक्त ओवरड्राफ्ट खाते या .... खाता (यहां सुविधा के प्रकार का उल्लेख करें) पर ऋणी से बैंक को किसी भी समय के लिए देय शेष राशि ऋणी से वसूल कर सकता है भले ही सभी या कोई गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की वसूली न हुई हो।

22. कि बैंक को देय शेष राशि के पूर्ण भुगतान के बाद ऐसी बिक्री की निवल आय का अधिशेष उपलब्ध होने की स्थिति में बैंक के लिए यह वैध होगा कि वह उक्त अधिशेष को ऋणी से संबंधित किसी अन्य धन या धन के साथ, बैंक के हाथों में या किसी भी खाते के तहत, जहां तक वह किसी भी या सभी अन्य धन के परिसमापन के भुगतान के एवज या उसके लिए विस्तारित होगा या जो उससे देय हो सकता है, चाहे ऋणी अकेले या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, फर्म या कंपनी के साथ बैंक को ऋण, रियायती बिल, साख पत्र, गारंटी, बिल, नोट, क्रेडिट और अन्य सहित किसी भी अन्य ऋण या देनदारियों के शुल्क के रूप में वर्तमान दायित्व हालांकि देय या देय नहीं हैं या ऋणी को कुछ समय के लिए या अन्य कानूनी या न्यायसंगत मांगें, जो आपसी ऋण के प्रतितुलन के कानून के मामले में स्वीकार करेंगे और उधारकर्ता के दिवालिया या दिवालिया हो जाने या परिसमापन में होने या अन्यथा उस पर उस तारीख से ब्याज सहित जिस पर कोई और सभी अग्रिम उस दर या संबंधित दरों पर किए गए होंगे जिस पर उन्हें अग्रिम किया गया होगा।

23. कि यदि ऋणी के विरुद्ध बैंक के सभी दावों के निपटान के बाद कोई अधिशेष शेष रहता है तो बैंक ऐसे अधिशेष का भुगतान ऋणी को करेगा।
24. यह कि ऋणी, कोर्ट के अंदर और बाहर बिना किसी सवाल के इस तरह की किसी भी बिक्री से वसूल हुई राशि के निर्णायक सबूत के रूप में और/या ऋणी से बैंक को इस करार के अन्तर्गत किसी भी बकाया होने और/या उसके संबंध में होने वाली लागत और व्यय पर बैंक और इसके मूल अधिकारी या विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, बिना किसी वाउचर या दस्तावेज को बिना प्रस्तुत किए हुए हस्ताक्षर किए गए दस्तावेज और या बही पर बनाए गए खाते का विवरण को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं।
25. कि यह समझौता बैंक द्वारा ऋणी को किए गए या किए जाने वाले किसी भी अन्य अग्रिम के संबंध में इस समझौते से स्वतंत्र और ऋणी के खिलाफ बैंक के अधिकारों और उपचारों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।
26. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सत्य हैं। मैं/हम बैंक द्वारा मांगे जाने पर ऋण चुकाने का वचन देते हैं। मैं/हम मूल्यांकक द्वारा सोने की शुद्धता, वजन, बाजार मूल्य आदि को प्रमाणित करने वाली मूल्यांकन रिपोर्ट इसके साथ संलग्न करता हूं/करते हैं।

भवदीय,

दिनांकः

स्थान: आवेदक/के हस्ताक्षर

शाखा उपयोग के लिए

गिरवी रखे गए सोने के निवल वजन के बाजार मूल्य का 75%	रु.

अग्रिम की योग्य राशि : रु. ....

गैर प्राथमिकता क्षेत्र के लिए जेएल:

उद्देश्य:___________________________

रु. .... (रुपये शब्दों में ....) के ओवरड्राफ्ट को .... की ब्याज दर पर .... उद्देश्य के लिए स्वीकृत किया गया।

दिनांक: **शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर**

ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार नियम और शर्तें स्वीकार की गई।

दिनांक:

स्थान: **आवेदक/के हस्ताक्षर**

निरीक्षण की तिथि: **अधिकारी के हस्ताक्षर**

** केवल गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए लागू।